

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION



ISSN 2582-5445

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSI.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

“निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति की शैक्षिक उन्नयन में भूमिका : राजस्थान के अलवर जिले का एक अध्ययन”

योगेश कुमार शर्मा (शोधार्थी), डॉ. एस.के.महतो (शोध पर्यवेक्षक),

राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विष्वविद्यालय, अलवर (राज.)

**Yogesh Kumar Sharma (Research Scholar), Dr. S.K. Mahto (Research Supervisor),
RRBM University, Alwar (Raj)**

सार:— भारतीय शासन और औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अधिकार की भारतीय अवधारणा विकसित हुई, जिसे मौलिक अधिकारों पर भारतीय संविधान के भाग III में शामिल किया गया। ये मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में सन्निहित लोगों के करीब हैं। इसमें स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वायत्तता से वंचित नहीं किया जाएगा। सटीक राइट ऑफ मैन की फ्रांसीसी अवधारणा के अनुरूप है, जो इस सिद्धांत से आकर्षित करता है कि लोगों के जीवन की संभावनाएं अप्रासंगिक विचारों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा लोगों के जीवन के अवसरों का आश्वासन देने के लिए महत्वपूर्ण है। निः शुल्क शिक्षा का अर्थ है कि कोई बच्चा, जो अपने माता-पिता द्वारा स्कूल में भर्ती कराया गया हो, जो कि उपयुक्त सरकार द्वारा समर्थित नहीं है किसी भी प्रकार के शुल्क या व्यय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अनिवार्य शिक्षा 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए सरकार उपयुक्त स्थानीय अधिकारियों पर दायित्व डालती है। इसके साथ, भारत आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निहित इस मौलिक कर्तव्य को सही तरीके से लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर एक कानूनी बाध्यता रखने वाले अधिकार आधारित ढांचे के लिए आगे बढ़ गया है। प्रत्येक विद्यालय द्वारा एक विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा जिसमें प्रवेश प्राप्त सभी बालकों के माता-पिता या संरक्षक और विद्यालय के सभी शिक्षक एवं स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होंगे। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना लेकिन फिर भी यह हमारे लिए एक दूर का सपना है। चूंकि विद्यालय प्रणाली में कार्यरत अन्वेषक अक्सर ऐसी परिस्थितियों और समस्याओं का सामना करने के लिए आते हैं जो इस तरह के अध्ययन के लिए अन्वेषक का ध्यान आकर्षित करते हैं जिसके माध्यम से अन्वेषक राज्य में प्रारंभिक और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के विकास के लिए कुछ योगदान दे सकता है।

भूमिका:— शिक्षा को व्यक्ति के समग्र विकास के साथ-साथ सामाजिक उत्थान के लिए एक संभावित साधन माना जाता है। यह अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक होने और कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाता है। जो लोग वर्षों से पिछड़े और वंचित रह गए हैं, उन्हें शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों का दावा करने और समाज में अपनी निर्धारित भूमिकाओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज में सुधार कर सकते हैं, क्षमता स्तर बना सकते हैं, बाधाओं को दूर कर सकते हैं और उनकी भलाई में निरंतर सुधार के अवसरों का विस्तार कर सकते हैं। क्षमता, भलाई और अवसर की उन्नति के साधन के रूप में शिक्षा निर्विरोध है। वैश्विक रूप से, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में पहुंच और कुछ हद तक एक उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन (OOSC) की संख्या कई करोड़ों में बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण गरीबी, पलायन, स्कूल प्रशासन से सहायता की कमी, शिक्षा के माध्यम को समझने में असमर्थता, स्कूल में शिक्षक की अनुपस्थिति और रवैया आदि है। वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल अथवा आश्रमों में प्रचलित रही है जिसके अन्तर्गत ब्राह्मण व क्षत्रिय बालक ही अन्तःवासी के रूप में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था तत्पश्चात् ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। उस समय व्यक्ति के सोलह संस्कार किये जाते

थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में प्रवेश लेते समय शिक्षार्थी का 'उपनयन संस्कार' तथा शिक्षा पूर्ण करने पर 'समावर्तन संस्कार' किया जाता था। कुछ शिक्षार्थी आजीवन ब्रह्मचर्य में रहते हुए अध्ययन-अध्यापन का कार्य करते थे। तत्पश्चात् धीरे-धीरे शिक्षा के स्वरूप में अत्यधिक परिवर्तन हुए और बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति, जैन कालीन शिक्षा पद्धति, मुस्लिम कालीन शिक्षा पद्धति अंग्रेजी कालीन शिक्षा पद्धति आदि अनेक शिक्षा पद्धतियों ने जन्म लिया। अंग्रेजी कालीन शिक्षा पद्धति को ही वर्तमान कालीन शिक्षा पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसका जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। यही शिक्षा पद्धति सम्पूर्ण भारत में प्रचलित है।

आरटीई अधिनियम 2009 :- आरटीई अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यह अधिनियम सामुदायिक गतिशीलता पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है और स्कूल के प्रधानाचार्यों से लेकर अभिभावकों तक हर हितधारक की भागीदारी सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम में विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों के लिए कई प्रावधान हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रावधान सरकारी स्कूलों में समयबद्ध तरीके से स्कूली बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन है ताकि वे अपनी आयु-उपयुक्त कक्षा में सफलतापूर्वक मुख्यधारा में शामिल हों ताकि स्कूलों से भावनात्मक और शैक्षिक रूप से जुड़ सकें। शिक्षा के महत्व को किसी भी राष्ट्र द्वारा उपेक्षित नहीं किया जा सकता है और आज की दुनिया में, शिक्षा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। यह किसी भी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक परम आवश्यक है। हमारी तरह सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप के संदर्भ में, शिक्षा एक सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता है। कई दशक पहले भी, हमारे शिक्षाविदों ने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक निराशा बताया था। यह हमारे इस महान देश की तुलना में दुःखद है जहाँ ज्ञान ने सबसे पहले अपनी मशाल जलाई।

निः शुल्क शिक्षा :- निः शुल्क शिक्षा का अर्थ है कि कोई बच्चा, जो अपने माता-पिता द्वारा स्कूल में भर्ती कराया गया हो, जो कि उपयुक्त सरकार द्वारा समर्थित नहीं है किसी भी प्रकार के शुल्क या व्यय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अनिवार्य शिक्षा 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए सरकार उपयुक्त स्थानीय अधिकारियों पर दायित्व डालती है। इसके साथ, भारत आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निहित इस मौलिक कर्तव्य को सही तरीके से लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर एक कानूनी बाध्यता रखने वाले अधिकार आधारित ढांचे के लिए आगे बढ़ गया है।

भारत में शिक्षा के अधिकार की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास :- भारतीय शासन और औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अधिकार की भारतीय अवधारणा विकसित हुई, जिसे मौलिक अधिकारों पर भारतीय संविधान के भाग III में समाप्त किया गया। ये मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में सन्निहित लोगों के करीब हैं। भारत के 29 आम लोगों की जिंदगी पर सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार अनुच्छेद -21 में हुआ, जिसने जीवन और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार की गारंटी दी। इसमें स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वायत्तता से वंचित नहीं किया जाएगा। सटीक राइट ऑफ मैन की फ्रांसीसी अवधारणा के अनुरूप है, जो इस सिद्धांत से आकर्षित करता है कि लोगों के जीवन की संभावनाएं अप्रासंगिक विचारों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा लोगों के जीवन के अवसरों का आश्वासन देने के लिए महत्वपूर्ण है।

विद्यालय प्रबंध समिति :- प्रत्येक विद्यालय धारा 2(द) (iv) में वर्णित गैर सहायता प्राप्त विद्यालय को छोड़कर) एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा जिसमें प्रवेश प्राप्त सभी बालकों के माता-पिता या संरक्षक और विद्यालय के सभी शिक्षक एवं स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होंगे। ऐसी समिति में कम से कम 3/4 सदस्य माता-पिता या संरक्षक (माता-पिता के जीवित न होने पर) होंगे। इस समिति की 50 प्रतिशत सदस्य स्त्रियाँ होंगी। साथ ही इसमें कमजोर वर्गों व अलाभित समूह के बच्चों के माता-पिता/संरक्षकों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यों में विद्यालय के कार्य को मॉनीटर करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, समुचित

सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों को उपयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएँ आदि शामिल हैं।

समस्या का कथन :- अध्ययन की समस्या को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है—“निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति की शैक्षिक उन्नयन में भूमिका : “राजस्थान के अलवर जिले के सन्दर्भ में एक अध्ययन”।

अध्ययन का उद्देश्य :- प्रस्तुत अध्ययन के लिये शोधकर्ता के द्वारा अपनी समस्यानुभूति को ध्यान में रखते हुए निम्न महत्वपूर्ण उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है:-

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की शैक्षिक उन्नयन व शैक्षिक गुणवत्ता हेतु निर्माण व योगदान का अध्ययन करना।
2. निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति के निर्माण व कार्यों का विश्लेषण करते हुए अध्ययन करना।
3. इस अधिनियम के तहत गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस.एम.सी.) के उद्देश्यों व कार्यों का अध्ययन करना।
4. इस अधिनियम की कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं का विश्लेषण करते हुए अध्ययन करना।
5. राष्ट्रीय उपक्रमों यथा ‘मिड-डे-मील’ पोषाहार कार्यक्रम एवं ‘अन्नपूर्णा दुग्ध योजना’ जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन सम्बन्धी अध्ययन करना।
6. ‘विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस.एम.सी.) के गठन, कार्यप्रणाली व मदों एवं व्यय सम्बन्धी कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।
7. शिक्षक-अभिभावक बैठकों एवं उनमें लिये गये निर्णयों सम्बन्धी अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं :- “परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के सम्भाज्य संबंध का परीक्षण योग्य कथन है।” प्रस्तुत शोधकर्ता द्वारा विद्यालयों में होने वाले शैक्षिकोन्नयन व शैक्षिक गुणवत्ता के सम्बन्ध में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति के योगदान को ध्यान में रखते हुए निम्न प्राक्कल्पनाएं निर्धारित की गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं-

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 शैक्षिक उन्नयन व शैक्षिक गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करता है।
2. इस अधिनियम की सभी धाराएं व कानून शैक्षिक जटिलताओं व समस्याओं का निराकरण करने में सहायक हैं।
3. इस अधिनियम के तहत गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस.एम.सी.) द्वारा भौतिक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है।
4. ड्रॉप-आउट बालक-बालिकाओं का चिह्नीकरण करना व उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से जोड़ने हेतु नाटक-नाटिकाओं का आयोजन, नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, अभिभावकों को प्रोत्साहित करना व विभिन्न रैलियों का आयोजन किया जाता है।
5. विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस.एम.सी.) द्वारा शिक्षणाधिगम प्रक्रिया को सुगम, सरल व सहज बनाने हेतु शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करवायी जाती है।
6. राष्ट्रीय उपक्रमों यथा मिड-डे-मील पोषाहार कार्यक्रम एवं अन्नपूर्णा दुग्ध योजना आदि का सुचारु रूप से संचालन करना आदि।
7. विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस.एम.सी.) द्वारा विद्यालय में होने वाले विकास कार्यों एवं आय-व्यय सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधियों का लेखा जोखा रखती है।
8. विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा शैक्षिक व शैक्षिकेतर गतिविधियों का संचालन व परिणामों में महत्वपूर्ण योगदान होता है।
9. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर की जाने वाली योजनाओं, परियोजनाओं व राष्ट्रीय उपक्रमों की निगरानी रखी जाती है व सुचारु रूप से संचालित की जाती है।

10. इस समिति द्वारा छात्रों के वार्षिक परिणामों में उत्कृष्टता लाने हेतु शिक्षक- अभिभावक मीटिंगों का आयोजन किया जाता है।
11. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु 'विद्यालय प्रबन्ध समिति' (एस.एम.सी.) द्वारा विभिन्न गतिविधियों संचालित की जाती है। यथा-पोस्टर निर्माण करना, साहित्यिक गतिविधियों का संचालन व रैलियों का आयोजन करना आदि।
12. विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस.एम.सी.) के प्रति शिक्षकों व अभिभावकों को जागरूकता एवं सजगता मिलती है।
13. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 'विद्यालय प्रबन्ध समिति' के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है।

अध्ययन के चर:-

स्वतंत्र चर – निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस.एम.सी.) की शैक्षिक उन्नयन के कार्य।

आश्रित चर – अभिभावक, शिक्षक, एस.एम.सी. सदस्य, सम्भ्रान्त नागरिक, सम्बन्धित स्थानीय अधिकारीगण आदि।

शब्दों का परिभाषाकरण :- प्रस्तुत समस्या को सुस्पष्ट एवं सुनियोजित रूप प्रदान करने के लिए समस्या पारिभाषिक शब्दों को विवेचित करना निश्चित ही सामयिक होगा।

1. **निःशुल्क :-** ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जहाँ पर बच्चों से किसी प्रकार का शुल्क या पूंजी ग्रहण न की जाये वह निःशुल्क शिक्षा है।
2. **अनिवार्य शिक्षा:-** ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें माता-पिता का यह दायित्व हो कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाने के लिए शाला में नामांकित करवायें एवं शाला में शिक्षक उन बच्चों को जिम्मेदारी से शिक्षा प्रदान करे एवं बालक शिक्षा पूर्ण किये बिना अध्ययन न रोके।
3. **विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस.एम.सी.)** निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत विद्यालयों में शैक्षिक उन्नयन व गुणवत्तापूर्ण विकास हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस.एम.सी.) का गठन किया गया है। यह व्यवस्था सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में की गई है।
4. **बाल शिक्षा का अधिकार:-** 6 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
5. **अधिनियम (Act)** संसद में कानून बनाने हेतु राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा पारित होने वाला कानून अधिनियम कहलाता है।
6. **राजस्थान:-** राजस्थान पश्चिमी भारत का एक राज्य है। यह भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आकृति लगभग पतंगाकार है यह राज्य 23°3' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश तथा 69°30' पूर्वी देशान्तर से 78°12' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। इसका गठन 01 नवम्बर 1956 को हुआ था। इसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है इसकी जनसंख्या 6,85,48,437 है।
7. **अलवर जिला:-** अलवर जिले की स्थापना महाराजा मोहब्बत सिंह के पुत्र प्रतापसिंह के द्वारा 1775 ई. में की गयी। यह नगर राजस्थान के मेवात अंचल के अन्तर्गत आता है। दिल्ली के निकट होने के कारण यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 160 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा इसे "राजस्थान का सिंह द्वार" भी कहा जाता है।

शोध अध्ययन का क्षेत्र :- प्रस्तुत अध्ययन में अलवर जिले में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से शोधकर्ता द्वारा जिले के प्रत्येक ब्लॉक से 10-10 विद्यालयों की 'विद्यालय प्रबंध समिति' न्यादर्श के रूप में लिया गया है। प्रत्येक ब्लॉक के 10 विद्यालयों में से 05 शहरी तथा 05 ग्रामीण विद्यालय सम्मिलित किया गया। यह शोध कार्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका और बच्चों

के निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के अधिकार की भूमिका का अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया है।

शोध अध्ययन की परिसीमांकन – शोधकर्ता के द्वारा शोध की सुविधा एवं परिणामों की सार्थकता को ध्यान में रखते हुए, परिसीमांकन के रूप में निम्न बिंदु स्वीकार किये गये हैं—

1. प्रस्तुत शोध कार्य में अलवर जिले को स्वीकृत किया गया है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य में अलवर जिले के सभी ब्लॉकों से 10-10 विद्यालयों का चयन किया जायेगा।
3. प्रत्येक ब्लॉक से 05 शहरी एवं 05 ग्रामीण विद्यालयों को स्वीकार किया जायेगा।
4. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों में सामान्य विद्यालयों के साथ-साथ (यथा सम्भव) बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भी सम्मिलित किये जायेंगे।
5. विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, पुरुष एवं महिला सदस्य, अभिभावक एवं जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जायेगा।

शोध अध्ययन विधि :- वर्तमान अध्ययन एचएम, शिक्षकों और एस.एम.सी सदस्यों के जागरूकता स्तर और बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सटीक और प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए बनाया गया है। वर्तमान अध्ययन का संचालन करने के लिए सर्वेक्षण विधि को अपनाया जाता है क्योंकि यह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र से घटना की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उपयुक्त है। यह घटना के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विभिन्न हितधारकों से प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण – किसी भी अध्ययन की सफलता उपयोग किए गए उपकरणों और तकनीकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। विशेष उपकरण का उपयोग समस्याओं के प्रकार पर निर्भर करता है और प्रत्येक अनुसंधान उपकरण किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी स्थिति में उपयुक्त है। इस अध्ययन के लिए दत्त एकत्र करने के लिए निम्नलिखित स्व-विकसित उपकरण का उपयोग किया जाता है।

1. साक्षात्कार मापनी (एस.एम.सी. सदस्यों के लिए)
2. शैक्षिक उन्नयन प्रश्नावली (छात्रों के लिए)

प्रदत्तों का विश्लेषण :- जनसंख्या के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के अलवर जिले के सभी 14 ब्लॉक (प्रखण्ड) शामिल हैं और प्रत्येक ब्लॉक से 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया जाता है जिसमें 05 शहरी एवं 05 ग्रामीण उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे। नमूना का चयन मल्टीस्टेज सैंपलिंग तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। प्रारंभ में, अलवर जिले को कुल 33 जिलों में से यादृच्छिक रूप से चुना है। इसके अलावा अलवर जिले से 14 ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक के 10 स्कूलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया है। नमूने के रूप में (एस.एम.सी. सदस्यों के लिए) प्रधानाध्यापक/सचिव – 140, अभिभावक – 140, अध्यापक – 2 एक पुरुष एक महिला – 280, सभ्रान्त नागरिक – 140, स्थानीय अधिकारीगण – 280, एस.एम.सी सदस्य – 140 है। समिति कुल 15 सदस्यों का होता है जिसमें से 08 सदस्यों का साक्षात्कार मापनी के द्वारा दत्त संग्रह किया जायेगा।

तालिका 4.1 शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में छात्रों की संख्या

ब्लॉक	(05)शहरी विद्यालय	(05)ग्रामीण विद्यालय	कुल
उमरैण	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50
थानागाजी	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50
राजगढ़	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50
रैणी	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50
लक्ष्मणगढ़,	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50
कठुमर	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50

रामगढ	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50
किशनगढबास	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50
तिजारा,	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50
नीमराणा	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50
मुण्डावर	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50
बहरोड़	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50
बानसूर	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50
कोटकासिम	05 (5X5)=25	05 (5X5)=25	50
	350	350	700

तालिका 4.2 शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में एसएमसी सदस्यों की संख्या

ब्लॉक	(05)शहरी विद्यालय	(05)ग्रामीण विद्यालय	कुल
उमरैण	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
थानागाजी	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
राजगढ	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
रैणी	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
लक्ष्मणगढ,	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
कटुमर	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
रामगढ	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
किशनगढ बास	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
तिजारा,	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
नीमराणा	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
मुण्डावर	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
बहरोड़	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
बनसूर	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
कोटकासिम	05 (5X3)=15	05 (5X3)=15	30
	210	210	420

तालिका 4.3 आरटीई अधिनियम के बारे में प्रधानाध्यापक की जागरूकता के स्रोत

वस्तुएं	ग्रामीण N (%)	शहरी N (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाप विचलन (Std. deviation)	कुल N(%)	T value
आरटीई अधिनियम, 2009 के बारे में जागरूक	70(100)	70(100)	70	0	140(100)	0.159
स्रोत स्कूल	36 (65)	28 (50)	32	64 (65)	64 (65)	
टीवी / अखबार	16(30)	16(30)	16	32 (26.63)	32 (26.63)	
पंचायत कार्यालय	00	56 (10)	28	56 (3.34)	56 (3.34)	
अन्य	2 (5)	56 (10)	42	58 (5)	58 (5)	
	124	226	175	350	350	

तालिका 4.3 इंगित करती है कि सभी प्रधानाध्यापक अपने इलाके के आरटीई अधिनियम 2009 से अवगत हैं। साथ ही, तालिका इंगित करती है कि प्रधानाध्यापक को आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के बारे

में विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली जैसे कि स्कूल से 65%, समाचार पत्र से 26.63%। और पंचायत कार्यालय से 3.34% आरटीई अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों की अधिक गहराई से समझ प्राप्त करने के लिए अन्वेषक ने प्रधानाध्यापक से तीन प्रश्न पूछे। अपने इलाके के सभी प्रधानाध्यापक ने प्रतिक्रिया व्यक्त की आरटीई अधिनियम, 2009 का पहला प्रावधान 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है, आरटीई अधिनियम, 2009 का दूसरा प्रावधान न्यूनतम ढांचागत सुविधाएं और मुफ्त पाठ्यपुस्तकें हैं और आरटीई अधिनियम, 2009 का तीसरा प्रावधान है। कोई शारीरिक दंड नहीं। इस प्रकार उपरोक्त चर्चा से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इलाके के बावजूद सभी प्रधानाध्यापक आरटीई अधिनियम, 2009 से अवगत हैं, लेकिन केवल 65% स्कूलों के पास आरटीई अधिनियम, 2009 की प्रति उपलब्ध नहीं है।

तालिका 4.4 एसएमसी की संरचना और गठन के बारे में जागरूकता

वस्तुएं	ग्रामीण N (%)	शहरी N (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाप विचलन (Std. deviation)	कुल N (%)	T value
आरटीई अधिनियम के बारे में उन्मुख	11 (20)	22 (40)	22	7.778	33(30)	0.154
आरटीई अधिनियम के अनुसार एसएमसी की संरचना	53 (95)	56 (100)	81	14.142	109 (93.34)	
आरटीई अधिनियम के अनुसार गठित एसएमसी	36 (65)	56 (100)	64	14.142	92 (76.67)	
एसएमसी गठन में शामिल महिलाएं	00	00	00	15.556	00	
	100	78	167	237.587	234	

तालिका 4.4 इंगित करता है कि कुल 30% प्रधानाध्यापक में से आरटीई अधिनियम, 2009 के बारे में उन्मुख किया गया है। लेकिन उनके इलाके के संदर्भ में, ग्रामीण क्षेत्र से 20% शहरी क्षेत्र से 40% से 30% प्रधानाध्यापक ने आरटीई अधिनियम के बारे में सफलतापूर्वक उन्मुख किया है। साथ ही, तालिका से पता चलता है कि 70% प्रधानाध्यापक ने आरटीई अधिनियम, 2009 के बारे में उन्मुख नहीं किया है। इसके अलावा, तालिका इंगित करती है कि 93.34% प्रधानाध्यापक ने देखा कि एसएमसी की रचना आरटीई अधिनियम के मानदंडों के अनुसार की गई है। इसमें पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के 95% प्रधानाध्यापक एसएमसी संरचना से अवगत हैं। साथ ही, एक ही तालिका इंगित करती है कि ग्रामीण एसएमसी के 65% एसएमसी आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत गठित हैं।

जब अन्वेषक एक प्रश्न उठाकर एसएमसी की संरचना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करता है कि एसएमसी का सदस्य कौन बनेगा। और यह पाया गया कि प्रधानाध्यापक ने निरपेक्ष रूप से जवाब दिया कि छात्र के माता-पिता, स्कूल प्रधानाध्यापक और स्थानीय शिक्षाविद् एसएमसी के सदस्य बन सकते हैं और महिलाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं है इसके अलावा, अन्वेषक ने उनके पास अभिविन्यास कार्यक्रम के विवरण के बारे में पूछताछ की और पाया कि अधिकांश प्रधानाध्यापक को उनके इलाके के बावजूद ब्लॉक स्तर पर तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। आरटीई अधिनियम, 2009 पर उन्मुख प्रधानाध्यापक का प्रतिशत चित्र 4.1 में दिखाया गया है।

उपरोक्त चर्चा से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केवल 30% प्रधानाध्यापक अपने इलाके में निरपेक्ष रूप से आरटीई अधिनियम के बारे में एक उन्मुखीकरण प्राप्त कर चुके हैं, और शेष 70%

प्रधानाध्यापक आरटीई अधिनियम 2009 के बारे में उन्मुख नहीं हैं। केवल 76% स्कूलों ने आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार एसएमसी का गठन हुआ है।

तालिका 4.4 बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के अधिकार के बारे में शिक्षकों की जागरूकता और स्रोतों को दर्शाती है। 99.17% शिक्षक आरटीई अधिनियम, 2009 से अवगत हैं। साथ ही, तालिका से पता चला कि शिक्षकों को आरटीई अधिनियम, 2009 के बारे में जानकारी मिली थी। विभिन्न स्रोतों से, जैसे कुल 64.17% शिक्षकों ने स्कूलों से अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त की और 32.5 % शिक्षकों ने समाचार और टीवी से जानकारी प्राप्त की और 3.33 प्रतिशत शिक्षकों ने अन्य प्रासंगिक स्रोतों / दस्तावेजों से जानकारी प्राप्त की।

तालिका 4.5 एसएमसी की संरचना और गठन

वस्तुएं	ग्रामीणN (%)	शहरीN (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाण विचलन (Std. deviation)	कुल N (%)	T value
आरटीई अधिनियम के बारे में उन्मुख	52 (85)	108 (95)	80	39.59798	160 (18.0)	0.152
आरटीई अधिनियम के अनुसार एसएमसी की संरचना	40 (75)	136 (92.5)	88	67.88225	176 (167.5)	
एसएमसी का गठन आरटीई अधिनियम के अनुसार किया गया है	52 (85)	104 (95)	78	108	156 (18.0)	
	144	348	246	215.4802	492	

तालिका 4.5 आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार एसएमसी के गठन और संरचना के संबंध में शिक्षकों की जागरूकता को दर्शाती है। दत्त इंगित करता है कि कुल 86.67% शिक्षकों ने आरटीई अधिनियम के बारे में उन्मुख किया है। तालिका से यह भी पता चलता है कि विभिन्न स्थानों के शिक्षकों ने आरटीई अधिनियम, 2009 के बारे में उन्मुख किया है और पाया कि शहरी क्षेत्र के सबसे अधिक 95% शिक्षक अधिनियम के बारे में उन्मुख हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के 85% शिक्षकों ने आरटीई अधिनियम, 2009 के बारे में उन्मुख किया गया। जब अन्वेषक ने अभिविन्यास कार्यक्रम के विवरण के बारे में पूछताछ की, तो पाया कि सभी शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्हें ब्लॉक स्तर पर तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम प्राप्त हुआ है।

इसके अलावा, तालिका एसएमसी की संरचना को इंगित करती है और पाया कि कुल 76.66% ने आरटीई अधिनियम, 2009 के दिशानिर्देशों के अनुसार एसएमसी की रचना की है। इसके अलावा, वही तालिका इंगित करती है कि कुल 86.67% स्कूलों ने आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार एसएमसी का गठन किया है। अन्वेषक ने आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार एसएमसी के गठन और संरचना में महिला सदस्यों की भागीदारी के बारे में भी पूछताछ की, और पाया कि कोई भी स्कूल एसएमसी गठन और संरचना में महिलाओं की भागीदारी से अवगत नहीं है।

उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 13.33% शिक्षक आरटीई अधिनियम के बारे में उन्मुख नहीं हैं। यह भी निष्कर्ष निकाला कि ग्रामीण क्षेत्रों के क्रमशः 36.05 प्रतिशत और 25 प्रतिशत शिक्षक अधिनियम के अनुसार एसएमसी की संरचना से अवगत नहीं हैं। यह भी निष्कर्ष निकाला कि 13.33% स्कूलों को आरटीई अधिनियम, 2009 के दिशानिर्देशों के अनुसार एसएमसी का गठन नहीं किया गया है।

जब अन्वेषक ने एसएमसी की संरचना के बारे में अधिक जानकारी के बारे में पूछताछ की और एसएमसी का सदस्य बनने का उचित मौका किसके पास होगा और पाया कि सभी शिक्षकों ने जवाब दिया कि स्कूल के माता-पिता प्रधानाध्यापक और स्थानीय शिक्षाविद एसएमसी के सदस्य बन जाएंगे।

तालिका 4.6 एसएमसी की संरचना और गठन पर जागरूकता

वस्तुएं	ग्रामीण N (%)	शहरी N (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाण विचलन (Std. deviation)	कुल N (%)	T value
आरटीई अधिनियम 2009 के बारे में उन्मुख	25 (45)	33 (60)	29	5.656	58	0.155
आरटीई अधिनियम के अनुसार एसएमसी की संरचना	39(70)	53 (95)	46	9.899	92	
आरटीई अधिनियम के तहत गठित एसएमसी	50 (90)	56(100)	53	4.242	106	
एसएमसी के गठन में शामिल महिलाएं	00	00	00		00	
	114	142	128	19.798	256	

तालिका 4.6 एसएमसी की संरचना और गठन पर एसएमसी सदस्यों की जागरूकता को दर्शाती है। तालिका इंगित करती है कि कुल मिलाकर केवल 46.67% एसएमसी ने आरटीई अधिनियम, 2009 के बारे में उन्मुख किया है, वही तालिका यह भी इंगित करती है कि कुल 78.34 प्रतिशत स्कूलों ने आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार एसएमसी की रचना की है। इसके अलावा, तालिका इंगित करती है कि 70% ग्रामीण क्षेत्रों ने आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार एसएमसी की रचना की है। अन्वेषक ने एसएमसी समिति की सदस्यता के बारे में पूछताछ की और सभी एसएमसी सदस्यों ने जवाब दिया कि माता-पिता, प्रधानाध्यापक और स्थानीय शिक्षाविद् एसएमसी समिति के सदस्य बनें। आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार कुल मिलाकर 88.34 प्रतिशत स्कूलों ने एसएमसी का गठन किया।

तालिका 4.7 विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और उत्तरदायित्व

वस्तुएं	ग्रामीण N (%)	शहरी N (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाण विचलन (Std. deviation)	कुल N (%)	T value
प्रधानाध्यापक नियमित रूप से स्कूल जाते हैं	53(95)	56(100)	54.5	2.121	109 (96.67)	0.153
प्रधानाध्यापक समय का पाबंद	56(100)	56(100)	56	0	112 (100)	
प्रधानाध्यापक निष्पक्ष है	56(100)	56(100)	56	0	112 (100)	
प्रधानाध्यापक की बैठक	56(100)	56(100)	56	0	112 (100)	
प्रधानाध्यापक शारीरिक दंड देते हैं	00	00	0	0	00	
प्रधानाध्यापक समग्र कार्य की निगरानी करता है	56(100)	56(100)	56	0	112 (100)	
	323.15	280	278.5	2.121	557	

तालिका 4.7 उनके संबंधित स्कूलों में प्रधानाध्यापक की भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में बताती है। तालिका से पता चलता है कि 96.67% प्रधानाध्यापक नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं जबकि वही तालिका इंगित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र के 95% प्रधानाध्यापक नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं।

एसएमसी ने देखा कि प्रधानाध्यापक नियमित रूप से समय पर स्कूल आ रहे हैं, माता-पिता के साथ नियमित रूप से निष्पक्ष बैठक करते हैं, बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देते हैं और स्कूल के विकास के समग्र कार्य की निगरानी करते हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकांश स्कूल प्रधानाध्यापक नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं, नियमित रूप से एसएमसी और अभिभावकों के साथ बैठक करते हैं और बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देते हैं।

तालिका 4.8 शिक्षक अभिभावक मितिंगो का आयोजन

वस्तुएं	ग्रामीण N (%)	शहरी N (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाण विचलन (Std. deviation)	कुल N (%)	T value
नियमित रूप से स्कूल जाना	60(100)	60(100)	60	0	120(100)	0.156
शिक्षक समय के पाबंद	60(100)	60(100)	60	0	120 (100)	
समय पर कोर्स पूरा करना	60(100)	60(100)	60	0	120 (100)	
छात्रों की सीखने की क्षमता का आकलन करना	60(100)	60(100)	60	0	120 (100)	
शिक्षण के लिए गतिविधियों का प्रयोग करें	60(100)	60(100)	60	0	120 (100)	
शिक्षकों की निष्पक्षता	60(100)	60(100)	60	0	120 (100)	
माता-पिता के साथ नियमित रूप से बैठक करें	60(100)	560(100)	60	0	120 (100)	
शारीरिक दंड न देना	60(100)	60(100)	60	0	120 (100)	
	480	480	480	0	960	

तालिका 4.8 विद्यालय में शिक्षकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। सभी शिक्षक स्कूल में नियमित और समय के पाबंद हैं, निर्दिष्ट पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करते हैं, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करते हैं, शिक्षण के लिए कक्षा में गतिविधियों का उपयोग करते हैं, शिक्षार्थियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हैं, माता-पिता के साथ नियमित बैठक करते हैं और बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देते हैं।

तालिका 4.9 एसएमसी द्वारा स्कूल की निगरानी

वस्तुएं	ग्रामीण N (%)	शहरी N (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाण विचलन (Std. deviation)	कुल N (%)	T value
6-14 साल के बीच के बच्चों की पहचान करने में शामिल	50(90)	56(100)	53	4.242	106(95)	0.157
प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी करना	56(100)	50(90)	53	4.242	106(96.67)	
छात्रों की उपस्थिति की निगरानी करना	42(75)	56(100)	49	9.899	98(73.34)	
पाठ्यक्रम के पूरा होने की निगरानी करना	50(90)	56(100)	53	4.242	106(78.34)	
शिक्षकों की नियमितता और समय पालन की निगरानी करना	44(80)	56(100)	50	8.485	100(58)	
मॉनिटर एमडीएम	56(100)	56(100)	56	0	112(100)	
	298	330	314	31.112	628	

तालिका 4.9 एसएमसी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। तालिका से पता चलता है कि कुल 95% एसएमसी ने 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान में शामिल किया है। इसी तालिका से यह

भी पता चलता है कि 96.67% एसएमसी अपने-अपने इलाके में स्कूल की प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन यह पाया गया कि कुल 73.34 प्रतिशत एसएमसी बच्चों की उपस्थिति की निगरानी कर रहे हैं। 78.34% एसएमसी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने की निगरानी कर रहे हैं।

इसके अलावा, तालिका इंगित करती है कि 75% एसएमसी स्कूल शिक्षक की उपस्थिति की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा, दत्त इंगित करता है कि 58% एसएमसी आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक की नियमितता और समय की पाबंदी की निगरानी कर रहे हैं।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकांश एसएमसी अपने इलाके में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान करने में शामिल हैं, जो स्कूल में प्रवेश और मध्याह्न भोजन की निगरानी करते हैं।

तालिका 4.10 एसएमसी के कार्य

वस्तुएं	ग्रामीण N (%)	शहरी N (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाप विचलन (Std. deviation)	कुल N (%)	T value
नियमित बैठकें करना	42(60)	56(80)	49	9.899495	98(71.66)	0.155
स्थानीय प्राधिकरण से परामर्श करना	59(45)	52(75)	55.5	4.949747	111(56.67)	
फंड की निगरानी करना	56(80)	66(95)	61	7.071068	122(81.67)	
सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करना होना	49(70)	59(85)	54	7.071068	108(78.34)	
बुनियादी ढांचे के काम में शामिल होना	70(100)	63(90)	66.5	4.949747	133(96.67)	
स्कूल के ऑडिट में शामिल होना	66(95)	70(100)	68	2.828427	132 (95)	
	342	366	354	36.76955	704	

तालिका 4.10 प्रधानाध्यापक द्वारा बताए गए एसएमसी के कार्यों के बारे में बताती है। तालिका इंगित करती है कि 71.66% एसएमसी शिक्षकों के साथ नियमित बैठक करते हैं और 56.67% एसएमसी बाल अधिकारों का उल्लंघन होने पर स्थानीय प्राधिकरण को नोटिस देते हैं। इसके अलावा, वही तालिका इंगित करती है कि 81.67% एसएमसी सरकार द्वारा दी गई निधियों की निगरानी करती हैं। और 78.34% एसएमसी अपने-अपने इलाके में सामुदायिक जागरूकता पैदा करते हैं। यही तालिका यह भी इंगित करती है कि 96.67% एसएमसी स्कूल के बुनियादी ढांचे के काम में शामिल हैं और उनमें से 95: स्कूल के ऑडिट में भी शामिल हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 71.66% एसएमसी अपने इलाके में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान करने में शामिल हैं, 81.6% एसएमसी स्कूल द्वारा प्राप्त धन की निगरानी कर रहे हैं और 78.34% एसएमसी हैं। आरटीई अधिनियम के बारे में सामुदायिक जागरूकता पैदा करने में शामिल हैं।

तालिका 4.11 राष्ट्रीय उपक्रमों यथा मिड डे मील पोषाहार कार्यक्रम एवं अन्नपूर्णा दुग्ध योजना आदि का सुचारु रूप से संचालन

राष्ट्रीय उपक्रमों यथा मिड-डे-मील पोषाहार कार्यक्रम	ग्रामीण N (%)	शहरी N (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाप विचलन (Std. deviation)	कुल N (%)	T value
मिड-डे-मील पोषाहार(3-6) वर्ष	38(55)	52(75)	45	9.899495	90(60)	0.156

अन्नपूर्णा दुग्ध योजना	17(25)	24 (35)	20.5	4.949747	41(25)
इनमें से कोई नहीं	52(75)	56(80)	54	2.828427	108 (73.34)
मिड-डे-मील पोषाहार(7-12) वर्ष	28(40)	35(50)	31.5	4.949747	63(40)
अन्नपूर्णा दुग्ध योजना	21(30)	28(40)	24.5	4.949747	49(31)
इनमें से कोई नहीं	52(75)	63(80)	57.5	7.778175	115(76.67)
	208	258	233	35.35534	466

तालिका 4.12 प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध लेखन सामग्री पत्रिकापाठ्य पुस्तकें इत्यादि

वस्तुएं	ग्रामीण N (%)	शहरी N (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाण विचलन (Std. deviation)	कुल N (%)	T value
पत्रिका	17(50)	21(60)	19	2.828427	38(51)	0.154
पाठ्य पुस्तकें	28(80)	31(90)	29.5	2.12132	59(81)	
कहानी की पुस्तकें	15(45)	15(50)	15	0	30(41.67)	
समाचार पत्र	26(75)	31(80)	28.5	3.535534	57(71.67)	
विज्ञान किट	17(50)	26(75)	21.5	6.363961	43(56.67)	
गणित किट	15(45)	21(60)	18	4.242641	36(45)	
चार्ट, नक्शा और ग्लोब	17(50)	22(65)	19.5	3.535534	39(51.67)	
TLMs	21(60)	26(57)	23.5	3.535534	47(63.34)	
	156	193	174.5	26.16295	349	

तालिका 4.12 इंगित करती है कि 51% स्कूलों में पत्रिकाएँ हैं, 81% स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें हैं, 41.67% स्कूलों में कहानी की किताबें हैं, 71.67% स्कूलों में अखबार हैं, 56.67% स्कूलों में विज्ञान किट हैं, 45% स्कूलों में गणित किट हैं, 51.67 % स्कूलों में चार्ट और नक्शे हैं और 63.34% स्कूलों में टीएलएम है।

तालिका 4.13 शिक्षकों की उपलब्धता

वस्तुएं	ग्रामीण N (%)	शहरी N (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाण विचलन (Std. deviation)	कुल N (%)	T value
शिक्षक-छात्र अनुपात	22(40)	28(50)	25	4.242	53(40)	0.157
विषय शिक्षक नियमानुसार	19(35)	14(25)	16.5	3.535	30.5(35)	
विज्ञान शिक्षक	28(50)	19(35)	23.5	6.363	42(84)	
सामाजिक विज्ञान शिक्षक	22(40)	14(25)	18	5.656	32(38)	
भाषा शिक्षक	19(35)	16(30)	17.5	2.121	52(41.67)	
	110	91	100.5	21.920	210.5	

तालिका 4.13 इंगित करती है कि आरटीई अधिनियम के अनुसार 40% स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 35 फीसदी स्कूलों में विषयवार शिक्षक ही उपलब्ध हैं। साथ ही, तालिका इंगित करती है कि 38% स्कूलों में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं और 41% स्कूलों में भाषा शिक्षक हैं। इसे निम्नलिखित आकृति में ग्राफिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 60% स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात नहीं है और 65% स्कूलों में आरटीई अधिनियम के मानदंडों के अनुसार विषयवार शिक्षक नहीं हैं।

पाठ्यचर्या विकास और मूल्यांकन के लिए पहल

छठा उद्देश्य आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार पाठ्यक्रम के विकास और मूल्यांकन के लिए की गई पहलों का अध्ययन करना है। डेटा प्रधानाध्यापक से एकत्र किया गया था और निम्नलिखित पैराग्राफ में प्रस्तुत किया गया था।

तालिका 4.14 पाठ्यचर्या विकास और लेन-देन

वस्तुएं	ग्रामीण N (%)	शहरी N (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाप विचलन (Std. deviation)	कुल N (%)	T value
आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम	42(75)	44(80)	43	1.414	86(71.67)	0.153
पाठ्य पुस्तकों का संशोधन	44(80)	50(90)	47	4.242	94(81.67)	
सर्वांगीण विकास में सहायक है पाठ्यचर्या	42(75)	44(80)	43	1.414	86(71.67)	
पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तकें भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दर्शाती हैं	33(60)	50(90)	41.5	12.020	83(66.67)	
पाठ्यचर्या बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा का निर्माण करती है	42(75)	50(90)	46	5.656	92(81.67)	
पाठ्यचर्या को समय से पूर्ण करना	53(95)	56(100)	54.5	2.121	109(95)	
	256	294	275	26.870	550	

तालिका 4.14 प्रधानाध्यापक द्वारा प्रकाशित प्राथमिक विद्यालय में पाठ्यक्रम विकास और लेनदेन को दर्शाती है। दत्त इंगित करते हैं कि 71.67 फीसदी स्कूलों ने क्षेत्रानुसार अपने स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित किया है और 81.76 फीसदी स्कूलों ने आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार अपनी पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया है। तालिका से यह भी देखा गया है कि 95% स्कूलों ने समय पर पूरा पाठ्यक्रम सुनिश्चित कर लिया है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकांश (95%) स्कूलों ने समय पर स्कूल में पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और कक्षा के लेन-देन से बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है।

तालिका 4.15 विद्यालय में मूल्यांकन

वस्तुएं	ग्रामीण N (%)	शहरी N (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाप विचलन (Std. deviation)	कुल N (%)	T value
प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले छात्रों का विवरण	00	00	00	00	00	0.152
स्कूल में लागू है सीसीई	440)	50(90)	47	4.242	94(81.67)	
बच्चों को स्कूल में मिली आजादी	56(100)	56(100)	56	00	112(100)	

शिक्षक का मातृभाषा में पढ़ाना	56(100)	56(100)	56	00	112(100)
शिक्षक कक्षा में नई पद्धति का प्रयोग करें	33(60)	42(75)	37.5	6.363	75(61.67)
	189	204	196.5	10.606	393

तालिका 4.15 इंगित करती है कि सभी स्कूल नो डिटेन्शन नीति का पालन करते हैं। दत्तों से पता चलता है कि 81.67% स्कूल मूल्यांकन के लिए सीसीई लागू करते हैं। इसके अलावा, तालिका से पता चलता है कि 61% शिक्षक अपने संबंधित स्कूलों में सामग्री के लेन-देन के लिए नई विधियों का उपयोग करते हैं।

यह कहा जा सकता है कि सभी स्कूल नो डिटेन्शन पॉलिसी का पालन करते हैं और अधिकांश स्कूल सीसीई लागू करते हैं। केवल 61% शिक्षक कक्षा में शिक्षण के नए और नवीन तरीकों का उपयोग करते हैं।

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए पहल :- अध्ययन का 7वां उद्देश्य आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा की गई पहलों का अध्ययन करना है। अन्वेषक ने प्रधानाध्यापक से बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए की गई पहल के संबंध में दत्त एकत्र किया, जिसे निम्नलिखित तालिका व ग्राफ में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4.16 बाल अधिकारों का उल्लंघन

वस्तुएं	ग्रामीण N (%)	शहरी N (%)	मध्यमान (Mean value)	प्रमाप विचलन (Std. deviation)	कुल N (%)	T value
आपके इलाके में बाल अधिकारों का उल्लंघन	00	11(20)	5.5	7.778	11(16)	0.153
राज्य ने गठित किया है (एससीपीसीआर)	50(90)	53(95)	51.5	2.121	103(93.34)	
CPCR बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच कर रहा है	53(95)	53(95)	53	00	106(96.67)	
प्रधानाध्यापक स्कूल में निष्पक्ष हैं	56(100)	56(100)	56	00	112(100)	
आपके स्कूल में शारीरिक दंड	00	00	00	00	00	
लड़कियों के साथ समान व्यवहार	56(100)	56(100)	56	00	112(100)	
एससी / एसटी छात्रों के साथ समान व्यवहार	56(100)	56(100)	56	00	112(100)	
आपके विद्यालय में टोल-फ्री नंबर उपलब्ध हैं	56(100)	56(100)	56	00	112(100)	
	327	341	334	9.899	668	

तालिका 4.16 से पता चलता है कि केवल 16% प्रधानाध्यापक ने देखा कि उनके इलाके में बाल अधिकार का उल्लंघन किया गया है और यह उल्लंघन केवल शहरी क्षेत्र में देखा जाता है। अधिकांश प्रधानाध्यापक इस बात से अवगत हैं कि राज्य सरकार ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया है और यह बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है।

आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में मुद्दे और चिंताएं :- अध्ययन का 8वां उद्देश्य झारखंड राज्य में आरटीई अधिनियम, 2009 को लागू करने के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करना है। अन्वेषक ने प्रधानाध्यापक से राज्य में आरटीई अधिनियम, 2009 को लागू करने में मुद्दों और चुनौतियों के संबंध में दत्त एकत्र किया, जिसे निम्नलिखित पैराग्राफ में अलग से प्रस्तुत किया गया है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से संबंधित :- अधिकांश प्रधानाध्यापक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में हैं। लेकिन अपर्याप्त शिक्षण-अधिगम सामग्री, विषय शिक्षक की कमी, सुसज्जित कक्षा की कमी और अनुचित शिक्षक-छात्र अनुपात के कारण वे इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सके।

आरटीई अधिनियम, 2009 लागू होने के बाद आपके विद्यालय में उपलब्धियां :- अपने इलाके के बावजूद सभी प्रधानाध्यापक ने व्यक्त किया कि आरटीई अधिनियम, 2009 में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। यह पाया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि हुई है और सरकार ने शिक्षकों को टीएलएम और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करके शिक्षण और मूल्यांकन प्रथाओं में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।

स्कूल में आरटीई अधिनियम, 2009 के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव :- सभी प्रधानाध्यापक अपने इलाके के बावजूद उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं में अपनी प्रतिक्रिया दी -

- ❖ शिक्षक-छात्र अनुपात उचित बनाए रखने के लिए शिक्षकों के सभी पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की कुंजी है।
- ❖ शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि वे छात्रों को सीखने और विकास के लिए पूरा समय दे सकें।
- ❖ स्कूल प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी के लिए माता-पिता और एसएमसी सदस्यों के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।
- ❖ प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता के अनुसार अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि छात्रों को टीएलएम, पुस्तकालय की पुस्तकें, प्रयोगशाला की सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।

निष्कर्ष :- अन्वेषक ने राजस्थान राज्य में प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और एसएमसी सदस्यों से उनकी जागरूकता और आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के स्तर के बारे में एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया। यह कहा जा सकता है कि सभी हितधारक अधिनियम के प्रावधानों से अवगत नहीं हैं, जो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पहला कदम है। राजस्थान सरकार ने आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार आरटीई नियम बनाकर पहल की है, लेकिन अधिनियम के उद्देश्यों को साकार करने और नागरिकों को इसका फल देने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है। प्रमुख निष्कर्षों और शैक्षिक निहितार्थों का विवरण निम्नलिखित अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। शोधकर्ता द्वारा विद्यालयों में होने वाले शैक्षिकोन्नयन व शैक्षिक गुणवत्ता के सम्बन्ध में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति के योगदान को ध्यान में रखते हुए निम्न प्राक्कल्पनाएँ निर्धारित की गई हैं। जो शोधकार्य को सकारात्मक परिणामों एवं निष्कर्ष की ओर ले जाने में सहायक होंगी, जो निम्न प्रकार है

- 65 % प्राथमिक विद्यालयों के पास आरटीई अधिनियम, 2009 की प्रति है और 35% विद्यालयों के पास प्रति नहीं है।
- प्रधानाध्यापक को आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार एसएमसी में महिलाओं की सदस्यता के बारे में जानकारी नहीं है।
- कोई भी प्रधानाध्यापक आरटीई अधिनियम, 2009 को लागू करने के लिए राज्य के शैक्षणिक प्राधिकरण से अवगत नहीं है।
- 76.66% शिक्षक आरटीई अधिनियम, 2009 के दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित एसएमसी के बारे में जानते हैं।
- एसएमसी गठन और संरचना में महिला सदस्यों की भागीदारी के बारे में कोई शिक्षक जागरूक नहीं है।
- कोई भी शिक्षक जेसीईआरटी की अकादमिक सत्ता से वाकिफ नहीं है।
- सामने आए आंकड़ों के अनुसार एसएमसी की जागरूकता का स्तर प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक है।

- कुल 46.67 % एसएमसी ने आरटीई अधिनियम, 2009 के बारे में उन्मुख किया है। लेकिन जनजातीय क्षेत्र के केवल 35% एसएमसी ने आरटीई अधिनियम, 2009 के बारे में उन्मुख किया है।
- कुल 58.34 प्रतिशत स्कूलों ने अपने-अपने इलाके में स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान की है। लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के केवल 50% स्कूलों ने अपने इलाके में स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान की है।
- केवल 33.34 प्रतिशत स्कूलों ने स्कूल न जाने वाले बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया है।
- केवल 50 % स्कूलों ने CWSN बच्चों को प्रवेश दिया है।
- केवल 45% स्कूली शिक्षकों ने सीडब्ल्यूएसएन बच्चों को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है जैसा कि प्रधानाध्यापक द्वारा खुलासा किया गया है।
- केवल 18.34 % स्कूलों ने स्कूल में CWSN से निपटने के लिए एक विशेष शिक्षक नियुक्त किया है। शहरी और साथ ही ग्रामीण के केवल 5% और 25% स्कूलों ने स्कूल में सीडब्ल्यूएसएन से निपटने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की है।
- 31.34 % स्कूलों ने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रतिमान प्रदान किया है और 50% स्कूलों में स्कूल में सीडब्ल्यूएसएन के लिए शिक्षण सहायक सामग्री है।
- जनजातीय स्कूलों के केवल 10% बच्चे ही नियमित से स्कूल जा रहे हैं और सामाजिक से वंचित समूह के 30% बच्चे नियमित बच्चों के साथ सामना करने में सक्षम हैं
- 58 % एसएमसी आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार शिक्षक की नियमितता और समयपालन की निगरानी कर रहे हैं।
- कुल 73.34 प्रतिशत स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के लिए बाधा मुक्त पहुंच है? यह आदिवासी क्षेत्र के केवल 65% स्कूल हैं।
- केवल 31 % स्कूलों की सीमा है और 40 % स्कूलों में खेल का मैदान है।
- 56.67 % स्कूलों में विज्ञान किट हैं, 45 % स्कूलों में गणित किट हैं, 51.67 % स्कूलों में चार्ट और नक्शे हैं और 63.34 % स्कूलों में टीएलएम है।
- आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार केवल 40% स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात है।
- केवल 35 % स्कूलों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध हैं। 38% स्कूलों में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं और 41% स्कूलों में भाषा के शिक्षक हैं।
- 39 % शिक्षक सामग्री के लेन-देन के लिए नए तरीकों का उपयोग नहीं करते हैं।
- स्कूल विकास कार्य और अगले वर्षों की योजना पर चर्चा करने के लिए माता-पिता और एसएमसी सदस्यों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- प्रधानाध्यापक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में हैं। लेकिन अपर्याप्त शिक्षण अधिगम सामग्री, विषय शिक्षक की कमी, सुसज्जित कक्षा की कमी और अनुचित शिक्षक-छात्र अनुपात के कारण वे इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सके।
- प्राथमिक विद्यालयों को विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि छात्रों को टीएलएम, पुस्तकालय की पुस्तकें, प्रयोगशाला सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।

5.6 शैक्षिक निहितार्थ

मानव जीवन में निरंतर परिवर्तन और विकास लाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत लक्ष्य, साथ ही शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, उन सभी व्यक्तियों की पूर्णता के लिए हैं जिनमें वह सक्षम है। शिक्षा के उद्देश्य जीवन के आदर्श के साथ सहसम्बद्ध हैं। इसीलिए शिक्षा को किसी

व्यक्ति के व्यवहार को वांछित तरीके से निर्देशित करने और बदलने के लिए सबसे अच्छे साधनों में से एक माना जाता है। यही कारण है कि शिक्षा की आवश्यकता सबसे पिछड़े क्षेत्रों में और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए अधिक महसूस की जाती है। इस आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, भारत के संविधान ने 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में, आरटीई अधिनियम, 2009 इस संबंध में एक मील का पत्थर है।

भारत के लोगों ने आनंद और खुशी के साथ मनाया क्योंकि यह 1 अप्रैल 2010 को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा वाले देशों में से एक बन गया है, जब 2002 में 86 वें संशोधन के माध्यम से बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, (2009) प्रभावी हो गया था। इससे पहले भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का अधिनियम, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का सपना भारत में सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), मध्याह्न भोजन योजना और कई अन्य योजनाओं के अलग-अलग समय पर लागू होने के साथ लगभग पूरा हो गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भी क्रांतिकारी है और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, इसे लागू करते हुए सभी सरोकारों को हाथ से काम करना चाहिए, उद्देश्यों और अभ्यास को सहसंबंधित करना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी बन गई है कि वह फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराए, शिक्षकों की भर्ती करे और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जरूरत की हर चीज की सुविधा मुहैया कराए।

आरटीई अधिनियम, 2009 ने प्रधानाध्यापक, शिक्षकों, एसएमसी सदस्यों और अभिभावकों को एक प्रमुख स्थान दिया है क्योंकि वे प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता और आवश्यकता आधारित शिक्षा प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, पूरे देश के सभी हितधारकों का यह कर्तव्य और दायित्व है कि वे अपनी भूमिका को ठीक से समझें और जितना हो सके उतना अच्छा करें।

स्कूल और पूरे समाज के लिए विभिन्न राज्यों में अधिनियम के नियत समय तक सफल कार्यान्वयन के लिए माता-पिता और एसएमसी सदस्यों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। वर्तमान शोध शीर्षक अनेक कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, जो औपचारिक शिक्षा की खोज और समाज का आधार है। दूसरे, यह आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन की स्थिति की पड़ताल करता है जिसे 1 अप्रैल 2010 से हमारे देश में लागू किया गया। तीसरा, इसका बहुत महत्व है क्योंकि यह राजस्थान राज्य में प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन करता है।

प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना लेकिन फिर भी यह हमारे लिए एक दूर का सपना है। चूंकि विद्यालय प्रणाली में कार्यरत अन्वेषक अक्सर ऐसी परिस्थितियों और समस्याओं का सामना करने के लिए आते हैं जो इस तरह के अध्ययन के लिए अन्वेषक का ध्यान आकर्षित करते हैं जिसके माध्यम से अन्वेषक राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए कुछ योगदान दे सकता है।

संदर्भ :-

- [1] गिरिधर, एस (2012) "शिक्षकों के लिए पुरस्कार और मान्यता प्रणाली की आवश्यकता है," अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। 2012.
- [2] गोयल, एस. और पांडे, पी. (2010) "सरकारी और निजी स्कूल कैसे भिन्न हैं?" दक्षिण एशिया मानव विकास क्षेत्र, विश्व बैंक. 2010।
- [3] गोडबोले, माधव (2011) "एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षारू मुद्दे, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 36: 4609-13-2011।
- [4] कुमार, टी. पी.(2010) कुछ चुनिंदा पृष्ठभूमि चर के संबंध में स्कूल शिक्षकों के बीच शिक्षा के अधिकार अधिनियम का एक अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च। वॉल्यूम- 4(2), पीपी। 2015-16।
- [5] लाल, के.(2010) "स्कूल शिक्षकों के बीच शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जागरूकता। मानविकी, कला और सामाजिक विज्ञान में अमेरिकन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च। 2014.वॉल- 5(1). पीपी. 24-29.

- [6] माझी, एम. और बेहरा, एल.(2010) खुर्दा जिले में आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रति प्रारंभिक शिक्षा के हितधारकों की जागरूकता, अप्रकाशित एम.एड. निबंध, आरआईई, भुवनेश्वर.2013।
- [7] महलिक, आर. "जागरूकता, पहल, और ओडिशा में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन में चुनौतियां", सामाजिक विज्ञान और मानविकी जर्नल, 2017, अ.2, पीपी.1-9।
- [8] मलिक, बी.के. और मोहंती, एस.के. (2019) "रूरल पॉवर्टी एंड चाइल्ड स्कूलिंग: ए केस स्टडी ऑफ बालासोर डिस्ट्रिक्ट," उड़ीसा, जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वॉल्यूम XXIII] नंबर 3- 257-281.2019।
- [9] मलिक, एस.सी.(2020) "उड़ीसा के कोरापुट जिले में प्राथमिक शिक्षा की बाधाएं," अप्रकाशित पीएचडी थीसिस, बरहामपुर विश्वविद्यालय। 2020.
- [10] मिश्रा, ए. (2021) "अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरटीई एक्ट-2009 विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू ओडिशा: प्रॉब्लम्स एंड चौलेंजेज," सेंटर फॉर चिल्ड्रन स्टडीज। 2021.
- [11] मेहता, ए (2017) "भारत में प्राथमिक शिक्षा यूईई की ओर प्रगति," विश्लेषणात्मक रिपोर्ट 2015 नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय। 2017।
- [12] मेहता और कपूर (2020) "शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना," काउंटर-करंट 06-03-2020.



EARN YOUR MBA

WWW.IIMPS.IN



Accreditation & Ranking



UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

☎ 011-41005174

RESEARCH
GATEWAY

STOP PLAGIARISM



Arogyam Ayurveda
Holistic Healing through herbs



AROGYAM
ONLINE

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

परिवर्तन

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD



BLUE

Calms your Child's
Mind & Body

YELLOW

Promotes Concentration,
Stimulates the Memory

PINK

Evokes Empathy,
makes your Child Calm

RED

Excites and energizes
your Child's body

GREEN

Improves Reading speed
and Comprehension

www.parivartan4u.com



परिवर्तन



Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY**

ISSN – 2250 – 1959 (O) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMSST.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
COMMERCE, ARTS AND SCIENCE**

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES**

ISSN 2277 – 9809 (O) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM



**INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION**

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM



**JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS
AND ECONOMICS RESEARCH**

WWW.JLPER.COM

JLPE